महत्वपूर्ण/समय

संख्या-3378/नौ-4-14-34ई.ओ./

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊः: दिनांक 24 जनवरी, 2014

विषयः- रिट याचिका संख्या-47309/13, गिरधारी लाल स्वर्णकार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 27.11.2013 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-139एम/नौ-4-13-34ई0ओ0/13, दिनांक 11.04.2013 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया कि ऐसे समस्त अधिशासी अधिकारियों, जिन्हें उनकी मूल तैनाती के नागर निकाय के अतिरिक्त किसी अन्य नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार शासन, निदेशक, स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सौंपा गया है, उन्हें अतिरिक्त प्रभार से अविलम्ब कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि किसी नागर निकाय में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त रहता है तो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी के पद का दायित्व अपने स्तर से उक्त नागर निकाय के किसी अधिकारी से इतर अधिकारी को सौंप दिया जाय।

2. शासन के उपर्युक्त आदेश दिनांक 11.04.2013 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयीं। रिट याचिका संख्या-47309/13, गिरधारी लाल स्वर्णकार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 27.11.2013 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय ने शासन के उक्त आदेश दिनांक 11.04.2013 को निरस्त करते हुए रिक्त अधिशासी अधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने का निर्देश दिया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के आदेश दिनांक 11.04.13 को निरस्त करते हुए शासन के आदेश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों द्वारा रिक्त अधिशासी अधिकारियों के पदों के दिये गये प्रभार को भी निरस्त कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.11.2013 के अनुपालन में रिक्त नगर निकायों में अधिशासी अधिकारियों के पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अभी समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 11.04.13 के क्रम में समस्त जिलाधिकारियों द्वारा रिक्त अधिशासी अधिकारियों के प्रभार के संबंध में निर्गत आदेश निष्प्रभावी हो गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि जब तक नियमित अधिशासी अधिकारियों की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक पालिका के कार्य के सम्पादन हेतु नागर निकायों में उपलब्ध अधिशासी अधिकारियों से ही कार्य लिया जाना यथोचित होगा।

4. अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने मण्डल के जनपदों में रिक्त नगर निकायों एवं उसके सापेक्ष तैनात अधिशासी अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर जनपद में ही उन्हें निकटस्थ रिक्त नगर निकाय (दूरी सहित) का प्रभार दिये जाने के संबंध में तैनात अधिशासी अधिकारी के नाम सहित स्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में फैक्स/विशेषवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- (1)/नौ-4-14-34ई.ओ./12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार वांछित सूचना संबंधित मण्डल के आयुक्त को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करायें, ताकि समेकित सूचना संबंधित मण्डल के आयुक्त द्वारा शासन को प्रेषित की जा सके।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।